

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—कानाराम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्रसंख्या:—102/2023 (14 सिविल रिट/इजेशन)

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लि० (पूर्व में एयु फाईनेंसर्स इण्डिया लि० के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय—19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर—302001 राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री भैराराम जाति नायकपता—वार्ड नं० 14, पो० कैचिया, 36 एमओडी, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ एवं सुभाषचन्द्र पता—पो नं० 40/254, किला नं० 3, चक 36 एमओडी, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
.....(मूलऋणी, बंधकग्रहिता)
2. सुमित्रा देवी पत्नी श्री सुभाषचन्द्र जाति नायकपता—वार्ड नं० 14, पो० कैचिया, 36 एमओडी, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
.....(सहऋणी)



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश

दिनांक:—21.08.24

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.09.2019 को 'लोन एग्रीमेन्ट' सं० L9001060118679684 के तहत 7,10,000/—रुपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा चक 36 एम.ओ.डी. (कैचिया) के पो नं० 40/254 के किला नं० 3 की 0.120 हैक्ट. अर्थात् 1440 वर्गगज कृषि भूमि जो कि दलीपराम पुत्र श्री गणपतराम जाति जाट निवासी खोतावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसे दलीपराम ने रिहायशी प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन करवाने हेतु तहसीलदार पीलीबंगा को आवेदन करने पर तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा रिहायशी प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन आदेश सं० 2070 दिनांक 15.06.1998 जारी किया गया। उक्त संपरिवर्तन भूमि में से दलीपराम द्वारा एक रिहायशी भूखण्ड पैमाईशी 33 गुणा 15 फुट अर्थात् 55 वर्गगज कॉर्नर का भूखण्ड का निष्पादित कर बैयनामा पुरखाराम पुत्र श्री सीताराम जाति छिम्पा निवासी— खोतावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में दिनांक 28.02.2000 को पंजीकृत किया गया। उक्त भूखण्ड को पुरखाराम पुत्र श्री सीताराम द्वारा निष्पादित कर बैयनामा सुभाषचन्द्र पुत्र श्री भैराराम जाति नायक निवासी— सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में दिनांक 25.05.2009 को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार सुभाषचन्द्र पुत्र भैराराम जाति नायक निवासी—गांव सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ उक्त आवासीय भूखण्ड पैमाईशी 33 गुणा 15 फुट अर्थात् 55 वर्गगज चक 36 एमओडी (कैचिया) के पो नं० 40/254 के किला नं० 3 में स्थित है, का एकल स्वामी है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/ आडमान किया।

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 11.05.2023 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 8,36,570/-रूपये (अखरे आठ लाख छतीस हजार पांच सौ सत्तर रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शारित्तियों व अन्य खर्चे दिनांक 15.05.2023 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 17.05.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 19.05.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 07.06.2023 को जारी की थी। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहनशुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति चक 36 एमओडी (कैंचिया) के प्लॉट नं० 40/254 के किला नं० 3 में स्थित एक रिहायशी भूखण्ड पैमाईशी 33 गुणा 15 फुट अर्थात् 55 वर्गगज है जिसका एकल स्वामी सुभाषचन्द्र पुत्र भैराराम जाति नायक निवासी-गांव सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



01
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़